



संख्या-476/2026//1421131/2026/001-CN-1679922-6-7099-911-2022

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय:- प्रदेश में आई0टी0एम0एस0 एवं स्मार्ट सिटी परियोजना से आच्छादित 18 जनपदों व 06 अन्य जनपद भदोही (संत रविदास नगर), कासगंज, ललितपुर, मिर्जापुर, शामली, सीतापुर के अतिरिक्त शेष 51 जनपदों में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये कुल 296 चौराहों/तिराहों पर कुल 1342 सीसीटीवी कैमरे व सहवर्ती उपकरण अधिष्ठापित किये जाने हेतु धनराशि रु 8,99,78,261/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- उप0प्रको0-501/2026 (यातायात सीसीटीवी), दिनांक 25.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में आई0टी0एम0एस0 एवं स्मार्ट सिटी परियोजना से आच्छादित 18 जनपदों व 06 अन्य जनपद भदोही (संत रविदास नगर), कासगंज, ललितपुर, मिर्जापुर, शामली, सीतापुर के अतिरिक्त शेष 51 जनपदों में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये कुल 296 चौराहों/तिराहों पर कुल 1342 सीसीटीवी कैमरे व सहवर्ती उपकरण अधिष्ठापित किये जाने हेतु निम्नलिखित तालिका में वर्णित विवरणानुसार कुल धनराशि रु 8,99,78,261/- (रु आठ करोड़ निन्यानबे लाख अठहत्तर हजार दो सौ इकसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

01 चौराहें पर आने वाला कुल व्ययभार

Sr. No.	Product Description	Qty	Unit (INR)	Total (INR)	GST @18%	Total amount (INR)
1	STQC Certified Box ANPR Camera	4	32,480.00	1,29,920.00	23,385.60	1,53,305.60
2	2MP or above PTZ	1	38,135.59	38,135.59	6,864.41	45,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	Camera STQC Certified					
3	8 Channel BIS Certified NVR with 4 TB SATA HDD (Server Based)	1	25,357.00	25,357.00	4,564.26	29,921.26
4	Other Accessories internet and installation	1	79,340.80	79,340.80	14,281.34	93,622.14
Total				2,72,753.39	49,095.61	3,21,849.00

01 तिराहे पर आने वाला व्ययभार

Sr. No.	Product Description	Qty	Unit (INR)	Total (INR)	GST @18%	Total amount (INR)
1	STQC Certified Box ANPR Camera	3	32,480.00	97,440.00	17,539.20	1,14,979.20
2	2MP or above PTZ Camera STQC Certified	1	38,135.59	38,135.59	6,864.41	45,000.00
3	8 Channel BIS Certified NVR with 4 TB SATA HDD (Server Based)	1	25,357.00	25,357.00	4,564.26	29,921.26
4	Other Accessories internet and installation	1	79,340.80	79,340.80	14,281.34	93,622.14
Total				2,40,273.39	43,249.21	2,83,522.60

(धनराशि रूप में)

एक चौराहे पर अधिष्ठापित कैमरों की संख्या	5
कुल चौराहों की संख्या	158
कुल कैमरों की संख्या	790
05 कैमरों (एक चौराहे) पर कुल व्यय	3,21,849
158 चौराहों पर कुल व्यय $-(3,21,849 \times 158)$	5,08,52,142

एक तिराहे /टी-जंक्शन /वाई जंक्शन पर अधिष्ठापित कैमरों की संख्या	4
कुल तिराहे /टी-जंक्शन /वाई जंक्शन की संख्या	138
कुल कैमरों की संख्या	552
04 कैमरों (एक तिराहे /टी-जंक्शन /वाई जंक्शन) पर कुल व्यय	2,83,523
138 तिराहे /टी-जंक्शन /वाई जंक्शन पर कुल व्यय $(2,83,523.60 \times 138)$	3,91,26,119

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

कुल 158 चौराहों पर आने वाला व्ययभार	5,08,52,142
कुल 138 तिराहे /टी-जंक्शन /वाई जंक्शन पर आने वाला व्ययभार	3,91,26,119
कुल कैमरों की संख्या	1342
कुल 296 चौराहों व तिराहे /टी-जंक्शन /वाई जंक्शन पर कुल व्ययभार	8,99,78,261/-

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा उपकरण/ सामग्री का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा०दि० 26.11.2024 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरण/ सामग्री के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरण/ सामग्री आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरण/ सामग्री के मेक/ मॉडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरण/ सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा उपकरण/ सामग्री का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रश्रुत प्रायोजन हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि० 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(9) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरण/सेवाएं क्रय न किया जाय, किसी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(10) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/ यातायात सड़क सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,99,78,261/- (रुपये आठ करोड़ निन्यानबे लाख अठहत्तर हजार दो सौ इकसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002071200 जनपदों के यातायात प्रबंधन हेतु सी0सी0 टी0वी0 एवं सहवर्ती उपकरणों का क्रय मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-12-134-X-2026-27-दिनांक: 04-08-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-476/2026//1421131/2026/001-CN-1679922-6-7099-911-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-निदेशक, यातायात सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5-निदेशक, वित्तीय एवं साख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
- 6-संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
- 7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
- 8- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।